आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28-11-22

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-714/2014-15

शनिचरवा भुटकुँवर, पिता स्व. मथुरा मुण्डा,
निवास ग्राम–आरागेट, कठर कोचा,
थाना–टाटीसिलवे, जिला राँची। ...प्रथम पक्ष।

बनाम

(1) मनीकांत दुबे, पिता शिवनारायण दुबे
(2) मीना देवी, पति राजदेव सिंह यादव
(3) निर्मल सिन्हा, पिता सुनील कुमार सिन्हा,
(4) भारत आरोग्य मंदिर कलकत्ता
सभी निवास ग्राम–आरागेट महादेवी सरला
बिरला स्कूल सेनेटोरियम, थाना–टाटीसिलवे,
पोस्ट–महिलौंग, जिला राँची। ...... द्वितीय पक्ष गण।

आदेश

प्रथम पक्ष शनिचरवा भुटकुँवर, पिता स्व. मथुरा मुण्डा, निवास ग्राम–आरा गेट, कठर कोचा, थाना–टाटीसिलवे, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष गण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष गण (1) मनीकांत दुबे, पिता शिवनारायण दुबे (2) मीना देवी, पति राजदेव सिंह यादव (3) निर्मल सिन्हा, पिता सुनील कुमार सिन्हा, (4) भारत आरोग्य मंदिर कलकत्ता सभी निवास ग्राम–आरागेट महादेवी सरला बिरला स्कूल सेनेटोरियम, पोस्ट–महिलौंग, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
आरा	178	29	1509	2.32 एकड

क्र०पृ०उल्टे

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे मसोमात खोया मुण्डाईन, जौजे बहिरा मुण्डा, वो बुचु मुण्डा वो मादी मुण्डा पेशरान मागा मुडा कौम मुण्डा शाकीन देह के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष गण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे मसोमात खोया मुण्डाईन, जौजे बहिरा मुण्डा वो बुचु मुण्डा वो मादी मुण्डा पेशरान मांगा मुडा के नाम से दर्ज है। खोया मुण्डाईन जौजे बहरा मुण्डा नावल्द स्वर्गवासी हो गये। मादी मुण्डा पिता मांगा मुण्डा नावल्द स्वर्गवासी हो गये। बुचु मुण्डा अपने पीछे मादो मुण्डा वो मथुरा मुण्डा वो चमरू मुण्डा को छोड गये चमरू मुण्डा नावल्द हुए, मथुरा मुण्डा अपने पीछे बिगल मुण्डा वो एतवा मुण्डा वो शनिचरवा मुण्डा (आवेदक) को छोड गये। मादो मुण्डा अपने पीछे रोबा भुटकुमार, वो रवि भुट कुमार वो मादी मुण्डा को छोड गये। रोबा भुटकुमार वो रवि भुटकार नावल्द स्वर्गवास हो गये। पंजी–II में बुचु मुण्डा के नाम जमाबंदी दर्ज है। विवादित भूमि पर विपक्षीगण खतियानी रैयत बुचु मुण्डा वल्द मांगा मुण्डा द्वारा वर्ष 1942 में एक इस्तीफानामा मिसेज लीला जी जौजे डॉ. डी.भी.जी. मथु के नाम से किया गया है। खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खाता की जमींदार बटुक किशन बनर्जी है, मिसेज लीला जी जमींदार नहीं है। इस्तीफानामा मिसेज लीला जी के नाम से किया गया है, परन्तु इस्तीफानामा के साथ कबुलियतनामा का भी होना आवश्यक है। जमींदार द्वारा कबुलियतनामा नहीं किया गया है। विपक्षीगण गलत तरीके से उक्त भूमि पर काबिज है।

क्र०पृ०व०

द्वितीय पक्ष गण ने अपने कारणपृच्छा में कहा है कि विवादित भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे घोन्दरो मुण्डाईन, जौजे बहिरा मुण्डा, वो बुचु मुण्डा वो मादी मुण्डा पेशरान मागा मुडा के नाम से दर्ज है। धोन्दरो मुण्डा नवल्द स्वर्गवास हो गये। मादी मुण्डा असम चले गये। बुचु मुण्डा विवादित भूमि को दिनांक–31.03.42 को रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के माध्यम से इस्तीफा मारगेज जमींदार लीलाजी मुथु पत्नी डॉ॰ डेविड विक्टर गना मुथु से दे दिया। लीलाजी मुथु उक्त भूमि को पी॰पी॰ नारायण को दिनांक–24.10.42 निबंधन दस्तावेज द्वारा सौंप दिया। पी॰पी॰नारायण उक्त भूमि पर पेड लगाए, कुंआ खोदे और निर्माण कर दखलकार है। तत्पश्चात डॉ॰ डेविड विक्टर गना मुथु ने भारत अरोग्य मंदिर को दिनांक–19.03.53 को निबंधन डीड द्वारा बिक्री कर दिये। भारत अरोग्य मंदिर अब भारत अरोग्य मंदिर और ज्ञान मंदिर से नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में उक्त भूमि का मालिक बुचू मुण्डा था, और बुचू मुण्डा ने उक्त जमीन का इस्तीफानामा लीलाजी मुथु के नाम से बना दिया। खेवटदार बदु कृष्णा बनर्जी ने मोरगेज द्वारा जमींदार जगनिवास नारायण तिवारी पिता मकसुदन नारायण तिवारी और जगदीप नारायण तिवारी पिता जगनिवास तिवारी को वर्ष 1914 और 1919 में मोरगेज बना दिया। उक्त मोरगेज से खेवट 05 बना है। जगनिवास नारायण तिवारी और जगदीप नारायण तिवारी ने लीलाजी मुथु को ऋण के माध्यम से सौंप दिया, और डॉ॰ डेविड विक्टर गना मुथु ने भारत अरोग्य मंदिर के निबंधन डीड द्वारा बिक्री कर दिये। अभी वर्तमान में उक्त भूमि पर भारत आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसमें शिक्षण संस्थान, टी॰बी॰ होस्पीटल चल रहा है। आवेदक लम्बे समय के बाद उक्त भूमि की वापसी का वाद दाखिल किया गया है, जो कालबाधित नही है।

अंचल अधिकारी, नामकोम के पत्रांक 813(ii) दिनांक 12.07.18 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में बुधु मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। पंजी II के अनुसार मनीकांत दुबे, पिता शिवनारायण दुबे, मीना देवी वो निर्मल सिन्हा वो भारत आरोग्य एवं ज्ञान मंदिर जिसे मीशेश लीला जी पति डॉ॰ डी॰वी॰जी॰ मथु (भूतपूर्व जमींदार) को डीड नं॰–2066 दिनांक–07.04.1942 के द्वारा खतियानी रैयत ने प्लॉट नं॰1509 रकवा–2.82

एकड़ जमीन इस्तीफा दे दिया। भूमि पर विगत 60-70 वर्षो से दखल कब्जा है। **अंचल** अधिकारी अपने मंतव्य दिया है कि खतियानी रैयत ने डीड नं.-2086 दिनांक-07.04.1942 के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को मौजा आरा के खाता नं.-29 प्लॉट नं.-1509 रकबा-2.82 एकड़ जमीन को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बिक्री दर बिक्री के द्वारा वर्तमान पंजी II रैयत को प्राप्त हुआ।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

उपरोक्त उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया। विवादित जमीन आदिवासी खाते की है। खतियानी रैयत बुधु मुण्डा के द्वारा उक्त भूमि को निबंधित इस्तीफा दिनांक-31.03.1942 को मौशेश लीला जी के नाम से दिया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-72 के अनुसार "A surrender land by a raiyat would itself amount to a Transfer and if it done without the preview section of the Deputy Commissioner in writing it would be in contravention of the provision of section 72" विपक्षीगण के द्वारा अनुमति संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस्तीफानामा के साथ कबुलियतनामा का होना आवश्यक है। लेकिन विपक्षीगण के द्वारा कबुलियतनामा नहीं प्रस्तुत किया है, ना ही अपनी कारण-पृच्छा में इस बात का उल्लेख किया गया है। इस्तीफानामा दिनांक-31.03.1942 की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत इस्तीफानामा संदेहात्मक प्रतीत होता है। प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्ष गण को बेदखल करते हुए प्रथम पक्ष को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्ष गण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

क्र०पृ०उल्टे

तदनुसार अंचल अधिकारी, नामकोम को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण सहित खतियानी रैयतो के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/- 28/11/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
रॉची।

ह0/- 28/11/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
रॉची।

ज्ञापांक :— 2140 (ग) दिनांक— 14/12/22

प्रतिलिपि :— अंचल अधिकारी, नामकुम को पारित आदेश के आलोक में भूमि पर दखल [?]दिहानी की कार्रवाई हेतु प्रेषित[?]।

ह0/- 13-12-22
वि0 नि0 पदा0

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.12 12:25:41 +05:30
Location: 192.168.51.130